



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

G20

भारत सरकार
ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

पत्रांक-३८४८ / FP/UK/ROAD/149153/2021 देहरादून:दिनांक: ३- फरवरी, 2023

सेवा में,

सचिव,

वन अनुभाग-3,

उत्तराखण्ड शासन।

विषय :- जनपद-पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधानसभा गंगोलीहाट में राममंदिर से सिराड़ी गांव प्राथमिक विद्यालय ठठौली ससपोड़ा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.71 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/149153/2021)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, बेरीनाग, पिथौरागढ़ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 1.71 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़/वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है।

प्रस्ताव पर प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), महोदय से पत्रावली पर सहमति प्राप्त करने के उपरान्त, ऑनलाईन प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(एस०एस० रसाईली)

प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या / FP/UK/ROAD/149153/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3. मुख्य वन संरक्षक/कुमाऊँ, नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया समय-समय पर प्रकरण की समीक्षा करने हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त कर लें।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद-पिथौरागढ़।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
7. अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, बेरीनाग, पिथौरागढ़।

(एस०एस० रसाईली)

प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17-	टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)	प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा पत्रावली पर सहमति के पश्चात् प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की जाती है।
-----	--	---

तिथि:

स्थान: देहरादून

हस्ताक्षर : 

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

03/03/23